

मान्यवर, दिल्ली की सरकार ने O-Zone area को निर्धारित करके यह कहा कि पुश्ते के बाहर, वहां एक पुश्ता बना हुआ है, जिस पर सड़क बनी हुई है और उसके बाद एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ कॉलोनी है, तो पुश्ते के बाहर का जितना भी एरिया है, जहां पर कॉलोनी बनी हुई है, जहां पर लोगों ने निर्माण कार्य कर रखा है, उस एरिया को निश्चित रूप से O-Zone area से बाहर लिया जाए और केन्द्र सरकार उनको नियमित करने की कृपा करे। मैं आपके माध्यम से सरकार से इसके लिए अनुरोध करता हूं। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि इसी तरीके से बदरपुर में O-Zone area का demarcation किया जाए, जिससे वहां पर तीन लाख लोगों की जिन्दगियां, जो आज संकट में हैं, वे उससे बच सकें और उन्होंने वहां पर जो घरों का निर्माण किया है, उन्हें वैध करने की इजाजत दी जाए।

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu) : Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI K. K. RAGESH (Kerala) : Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार) : महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

श्री राजमणि पटेल (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

Need for a Nationwide toll-free number for eye donation

डा. विकास महात्मे (महाराष्ट्र) : चेयरमैन सर, हम सबको पता है कि भारत में अंधत्व, यानी blindness की problem बहुत ज्यादा है। World में जितने भी blind लोग होंगे, उनमें से हर पांचवां इंसान भारतीय है। हम इसे eye donation या मृत्यु पश्चात् नेत्रदान से कम कर सकते हैं। जब यह नेत्रदान movement बढ़ेगा, नेत्रदान ज्यादा होगा, eye donations ज्यादा होंगे, तो यह कम हो सकता है। मैं इसके लिए सरकार को सुझाव देना चाहता हूं, जिन पर मैं चाहता हूं कि अमल किया जाए। मेरा पहला सुझाव यह है कि मृत्यु पश्चात् कई बर रिश्तेदारों को लगता है कि eye donation करना चाहिए, लेकिन उस वक्त उनके पास जो eye bank है, उसका फोन नम्बर नहीं रहता है और फोन नम्बर न रहने की वजह से यह नेत्रदान नहीं हो पाता है। मृत्यु पश्चात् 4 से 6 घंटे के अन्दर ही नेत्रदान होना चाहिए, लेकिन उस वक्त तक वे फोन नहीं कर सकते और eye bank को बता नहीं सकते कि उनकी नेत्रदान करने की इच्छा है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि जैसे Fire के लिए 101 नम्बर है, पुलिस के लिए 100 नम्बर है, वैसे ही eye donation के लिए भी एक ही नम्बर रहे, ताकि अगर कहीं पर भी death हो, तो जिस रिश्तेदार की भी मृत्यु पश्चात् नेत्रदान करने की इच्छा है, वह उस नम्बर पर call कर सके, ताकि eye bank के लोग वहां जल्दी से जल्दी पहुंच पाएं। इससे eye donation का

[डा. विकास महात्मे]

नम्बर बढ़ सकता है, जिससे काफी अंधे लोगों को, जो corneal blind हैं, उनको फायदा हो सकता है। अगर यह नम्बर toll free रहे, तो और अच्छा रहेगा।

सर, मेरा दूसरा सुझाव यह है कि हॉस्पिटल में जो death होती है, उसके बाद death certificate दिया जाता है। जब रिश्तेदार मृत्यु व्यक्ति का शरीर लेकर घर जाते हैं, तब तक 4-6 घंटे हो जाते हैं, जबकि उनको लगता है कि eye donation हो सकता था और हमारी इच्छा भी थी। हम सबको पता है कि उस वक्त घर का वातावरण भी दुखद रहता है और उन्हें यह ध्यान में नहीं आता। इसलिए death certificate देने के पहले यदि हॉस्पिटल यह लिखवा ले कि उस रिश्तेदार की नेत्रदान करने की इच्छा नहीं है, तो उस पर sign करते वक्त हर आदमी सोचेगा कि मुझे तो नेत्रदान करना है। इससे वे अपने आप इसके लिए प्रवृत्त होंगे। जब death certificate दिया जाता है, तो वह एक mechanical process रहता है और वह जल्दी से जल्दी बॉडी हॉस्पिटल से निकाल ले, इसलिए वह procedure quickly हो जाता है और कोई उन्हें eye donation के बारे में समझाता नहीं है। यदि हम यह पहले लिखवा लें कि मेरी eye donation करने की इच्छा नहीं है, तो वह बोलेगा कि मेरी इच्छा है। इससे नेत्रदान की संख्या बढ़ेगी। इसलिए सरकार मेरे इन दोनों सुझावों पर अमल करे, यह मेरी विनती है।

SHRI SAMBHAJI CHHATRAPATI (Nominated): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI JOSE K. MANI (Kerala): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

श्री हरनाथ सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री विनय दीनू तेंदुलकर (गोवा): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री सकलदीप राजभर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

डा. अशोक बाजपेयी (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री अजय प्रताप सिंह (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री कैलाश सोनी (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

लेफ्टीनेंट जनरल (डा.) डी. पी. वत्स (सेवानिवृत्त): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्रीमती सम्पतिया उइके (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री रामकुमार वर्मा (राजस्थान): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

Revival of sugar mill in Motihari, Bihar

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह (बिहार): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान मोतीहारी में वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिल की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इसका प्रमुख कारण मिल में लगी मशीनरी का पुराना हो जाना एवं नई मशीनरी को लगाने हेतु पर्याप्त फंड का उपलब्ध नहीं हो पाना है। इस चीनी मिल के बंद हो जाने के परिणामस्वरूप वहां पर कार्यरत स्टाफ एवं मजदूर तथा उन पर आश्रित परिवारों के सामने रोजी-रोटी का बड़ा संकट पैदा हो गया है। 2014 में, चुनाव से पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहां गए थे।

श्री सभापति : नहीं, आप केवल अपने विषय के संबंध में बताइए। No mention-about political things. यह ज़ीरो ऑवर है।

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह : सर, मैंने लिख कर दिया है, मैं उसी विषय पर बात कर रहा हूँ।

श्री सभापति : ज़ीरो ऑवर में लिख कर देने का सवाल नहीं है, वह तो Special Mention में होता है। ज़ीरो ऑवर में केवल सरकार का विशेष ध्यान दिलाने के लिए बोला जाता है।

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह : ठीक है, सर।

वहां कई लोगों की मृत्यु भी हो गई है। 2017 में दो व्यक्तियों, नरेश श्रीवास्तव और सूरज बैठा ने प्रशासन की नज़र में वहां ये सब बातें लाई थीं, जिसके बाद इन दोनों ने आत्मदाह कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार का ध्यान उधर नहीं जा रहा है। अभी कुछ लोगों को जानकारी मिली है एवं ऐसा ज्ञात हुआ कि इस चीनी मिल की उपयोगी ज़मीन पर मेडिकल कॉलेज बनाने हेतु एक ट्रस्ट का गठन किया गया है। इससे साफ-साफ यही संकेत मिलता है कि भविष्य में यह चीनी मिल कभी प्रारम्भ नहीं हो सकेगी, जिसके परिणामस्वरूप गन्ना किसानों के सामने हमेशा के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा।

गन्ना किसानों के भविष्य में दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि भारत सरकार को किसी भी प्रकार से इस चीनी मिल को प्रारंभ किए जाने की पहल करनी चाहिए, ताकि गन्ना